राष्ट्रीय कृषि नीति

सर्वप्रथम 22 दिसम्बर, 1992 को कृषि नीति का प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें इन बातों का उल्लेख किया गया : (1) कृषि को उद्योगों के समान सुविधा देना, (2) कृषि में सरकारी हस्तक्षेप

Scanned with CamScanner

को समाप्त करना, (3) बैंक की भूमिका, नीति और दिशा निर्देश को सीमित करना, (4) कृषि क्षेत्र में क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर, (5) आधुनिक कृषि तकनीकी का व्यापक प्रयोग, (6) कृषि क्षेत्र के आधारभूत ढाँचे के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संसाधनों का उपयोग करना, (7) कृषि के सहायक उद्योगों को बढ़ावा देना, (8) महंगे बिकने वाले कृषि पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना, (9) किसानों को कर संबंधी नियमों से बरी करना, (10) सिंचाई सुविधाओं का अधिक उपयोग करना, (11) कृषि विकास में गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाना।

14 मई, 1993 में इसमें एक बात और जोड़ी गई—यदि किसानों की भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहीत की जाती है तो उन्हें पूंजी लाभ कर से छूट होगी, साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने का भी सरकारी आश्वासन दिया गया।

28 जुलाई, 2000 को भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की। इस नीति दस्तावेज में कुल 43 अनुच्छेद हैं जो उद्देश्य, दीर्घकालीन कृषि, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सृजन एवं हस्तान्तरण, आदान प्रबन्ध, कृषि के लिए प्रोत्साहन, कृषि निवेश, संस्थागत संरचना, जोखिम प्रबन्ध, व प्रबन्ध सुधार नामक शीर्षकों में विभाजित हैं।

(1) **उद्देश्य**—राष्ट्रीय कृषि नीति में भारतीय कृषि की विशाल अदोहित क्षमता को वास्तविक रूप देने, तीव्रतर कृषि विकास को समर्थन देने के लिए ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, कृषि व्यवसाय की वृद्धि को तीव्रता प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने, किसानों, कृषि मजदूरों और उनके परिवारों का जीवन स्तर सुधारने, शहरी क्षेत्रों में प्रवास को हतोत्साहित करने तथा आर्थिक उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने की परिकल्पना है। आगामी दशकों में इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करना, (ii) वृद्धि, जो संसाधनों के कुशल उपयोग पर आधारित है तथा अपनी मृदा, जल और जैव विविधता का संरक्षण करना, (iii) साम्य वृद्धि अर्थात वृद्धि जो क्षेत्र दर क्षेत्र तथा किसान दर किसान व्याप्त है, (iv) ऐसी वृद्धि जो मांग के अनुसार और स्वदेशी बाजारों की मांग को पूरा करे तथा आर्थिक उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण से उत्पन्न चुनौतियों की स्थिति में कृषि उत्पादकों के निर्यात से अधिकतम लाभ मिल सके, (v) वृद्धि, जो प्रौद्योगिक, पर्यावरणीय तथा वित्तीय रूप से दीर्घकालीन हो।

(2) **दीर्घकालीन कृषि**—इस नीति में कृषि के दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी रूप से ठोस, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरण की दृष्टि से अपक्षयी तथा देश के प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल और आनुवंशिक सम्पदा को बढ़ावा देने की परिकल्पना है। अप्रयुक्त बंजर भूमि को कृषि और वनरोपण के लिए प्रयोग किया जायेगा। बहुफसलन और फसल सघनता पर विशेष जोर दिया जायेगा।

अपरदित एवं परती भूमि के सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। मृदा संरक्षण और उर्वरता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जायेगा। जलधारा आधार पर भूमि संसाधनों के प्रबन्ध पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। पशु आहार और चारा की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए चरागाह भूमि के प्रबन्ध पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। भारत का दो-तिहाई फसली क्षेत्र, जो वर्षा पर निर्भर है, के लिए जलधारा दृष्टिकोण के जरिए स्थायी वर्षा सिंचित कृषि हेतु एक दीर्घकालीन योजना पर सक्रिय रूप से अनुसरण किया जायेगा। सिंचाई क्षमता का इष्टतम उपयोग के लिए जल संसाधनों का खेतों पर उचित प्रबन्ध किया जायेगा। जल के अधिक कुशल उपयोग और उत्पादकता में सुधार करने के लिए स्व-स्थाने नमी प्रबन्ध तकनीकें जैसे मल्चिंग के उपयोग, टपका, छिड़काव और पादप घर प्रौद्योगिकी जैसी प्लास्टिक और माइक्रो ओवर हैड प्रेशर सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। जल संचार प्रणालियों के प्रबन्ध पर जोर दिया जायेगा। सहभागी सामुदायिक सिंचाई प्रबन्ध को बढ़ावा दिया जायेगा।

समेकित पोषक तत्वों तथा कृषि प्रबन्ध के जरिए रासायनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक उर्वरकों के सन्तुलित उपयोग तथा कृषि रसायनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी का विकास किया जायेगा।

(3) **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा**—खाद्य की बढ़ती मांग तथा कृषि उद्योगों के विस्तार के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए फसल उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं खाद्य आपूर्ति, निर्यात में वृद्धि के लिए वर्षा सिंचित एवं सिंचित बागवानी, पुष्प कृषि, कन्द और मूल फसलों, बागवानी फसलों, सुगन्धित एवं चिकित्सीय फसलों, मधुमक्खी पालन एवं रेशम कृषि विकास पर मुख्य जोर दिया जायेगा। उन्नत किस्मों की रोगमुक्त रोपण सामग्री तथा संकर बीजों की उपलब्धता को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

पशुपालन, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग तथा जल कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। उत्पादन एवं उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के लिए पशु उत्पादन के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के सृजन एवं विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। चारा फसलों और चारा वृक्षों की खेती में वृद्धि की जायेगी। बूचड़खानों का आधुनिकीकरण किया जायेगा। पशुपालन, कुक्कुट पालन और दुग्ध विकास में सहकारिताओं तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा। समुद्री एवं अन्तर्देशीय मत्स्यिकी पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(4) **प्रौद्योगिकी सृजन एवं हस्तान्तरण**—राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रणाली के साथ-साथ मालिकाना अनुसन्धान के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी, दूर संवेदन प्रौद्योगिकी, कटाई पूर्व एवं कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण प्रौद्योगिकी जैसी उन्नत विज्ञानों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा। कृषि शिक्षा के सुधार एवं शिक्षा स्तर, महिला अधिकारिता, उपयोगकर्ता उन्मुखन, व्यवसायीकरण एवं श्रेष्ठता को प्रोत्साहन की तरफ इसका झुकाव नई नीति की मुख्य विशेषता होगी।

अनुसन्धान और विस्तार प्रणाली की गुणवत्ता और कुशलता में सुधार करने के लिए अनुसन्धान और विस्तार सम्पर्क को मजबूत किया जायेगा।

(5) **आदान प्रबन्ध**—सरकार का प्रयास उच्च गुणवत्ता वाले आदानों यानि, बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन, जैव कृमिनाशी, कृषि मशीनरी एवं ऋण को उचित दरों पर तथा समय से एवं पर्याप्त मात्रा में किसानों तक पहुंचाया जायेगा। मिलावटी आदानों की पूर्ति पर रोक लगाई जायेगी। उर्वरकों के सन्तुलित एवं उचित उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बीज ग्रिड की स्थापना की जायेगी। निवेश व जनशक्ति के कुशल उपयोग के लिए राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम का पुन संगठन किया जायेगा।

(6) **कृषि के लिए प्रोत्साहन**—सरकार कृषि क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र के समान अधिकतम लाभ, यानि ऋण एवं अन्य आदानों की आसानी से उपलब्धता, कृषि वाणिज्य उद्योगों के विकास के लिए अवसंरचना सुविधाएं तथा प्रभावी वितरण प्रणाली का विकास एवं कृषि उत्पादों के गमन को बन्धनमुक्त करने का प्रयास करेगी।

कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार आयातों पर परिमाणात्मक प्रतिबन्धों को हटाये जाने के बाद निर्यात बढ़ाने के लिए विश्व बाजार में होने वाली मूल्य अस्थिरता के प्रतिकूल प्रभाव से उत्पादकों को संरक्षित करने के लिए सामग्रीवार रणनीतियों एवं व्यवस्थाओं का प्रतिपादन किया जायेगा। बागवानी उत्पादों और समुद्री उत्पादों के निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कृषि निर्यातों के प्रवर्धन के लिए एक अनुकूल आर्थिक वातावरण और सहायक सार्वजनिक प्रबन्ध प्रणाली तैयार की जायेगी।

घरेलू कृषि संगरोधात्मक प्रतिबन्धों को हटाने के सन्दर्भ में किसानों के हितों की रक्षा की जायेगी। कृषि में प्रयुक्त निर्मित वस्तुओं पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया जायेगा। मण्डी क्षेत्र को उदार बनाया जायेगा और कृषि आय वृद्धि में व्यवधान डालने वाले सभी नियन्त्रणों और शर्तों की समीक्षा की जायेगी और उन्हें समाप्त किया जायेगा। ऐसी सभी प्रणालियों तथा नीतियों को समाप्त किया जायेगा जो किसानों को उनके प्रयासों, निवेश तथा जोखिम के अनुपात में इन्हें मूल्य प्राप्त करने में बाधक हैं। पूरे देश में सभी कृषि जिन्सों के अबाधित आदागमन की अनुमति देने का प्रयास किया जायेगा।

(7) **कृषि निवेश**—कृषि क्षेत्र में पूंजी की कमी नहीं हो अतः क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करने के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास की सहायक अवसंरचना के त्वरित विकास के लिए विशेष रूप से गांवों के सम्बन्ध में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा।

कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश, विशेष कर कृषि अनुसन्धान, मानव संसाधन विकास, फसलोपरान्त प्रबन्धन के विपणन जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा।

ग्रामीण विकास के लिए प्रथम प्रयास के रूप में गांवों में विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

सिंचाई क्षमता के सृजन तथा उपयोग के बीच की खाई को पाटा जायेगा। सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि सिंचाई जल की उपलब्धता व उसके उपयोग में वृद्धि की जा सके।

विपणन अवसंरचना, परिरक्षण, भण्डारण और परिवहन तकनीकों के विकास पर जोर दिया जायेगा। हाटों को उन्नयित और सुदृढ़ बनाया जायेगा। सीधे विपणन और रेहन वित्त पोषण का संवर्धन किया जायेगा। गांवों में भण्डारण सुविधाओं का सृजन किया जायेगा। शीत शृंखलाओं की स्थापना की जायेगी।

कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जायेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आफ फार्म रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जायेगा। लघु कृषक कृषि व्यवसाय सहायता संघ में शक्ति संचार किया जायेगा।

(8) **संस्थागत संरचना**—ग्रामीण विकास तथा भूमि सुधार हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा :

(i) पूरे देश में जोतों का समेकन, (ii) निर्धारित सीमा से अधिक और परती भूमि का भूमिहीन किसानों, बेरोजगार युवकों में प्रारम्भिक पूंजी के साथ पुनः वितरण, (iii) पट्टेदारों तथा फसल पट्टेदारों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए पट्टेदारी सुधार, (iv) खेती व कृषि व्यापार हेतु निजी भूमि पट्टे पर देने के मामले वैधानिक प्रावधान करके जोतों के आकार में वृद्धि करने की दृष्टि से पट्टा बाजारों का विकास, (v) भूमि अभिलेखों का अद्यतन सुधार, कम्प्यूटरीकरण तथा किसानों को भूमि पास-बुक जारी करना, (vi) भूमि में महिला अधिकारों को मान्यता।

बचतों, निवेशों तथा जोखिम प्रबन्धन के संवर्धन के लिए ग्रामीण ऋण संस्थाओं के कार्यों को और सुदृढ़ किया जायेगा।

गरीबी उन्मूलन हेतु व्यष्टि ऋण को प्रभावी आय के रूप में प्रोत्साहित किया जायेगा।

उद्यम के सहभागी रूप को बढ़ावा देने के लिए सरकार सक्रिय सहायता देगी। इसके लिए अनावश्यक सरकारी नियन्त्रण एवं राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्ति दिलाई जायेगी।

(9) **जोखिम प्रबन्ध**—राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम को अधिक किसान उन्मुखी एवं प्रभावी बनाया जायेगा। कृषि उत्पादों के मूल्यों में बाजारी उतार-चढ़ाव सहित बुवाई से फसल कटाई तक किसानों को बीमा पॉलिसी पैकेज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

कृषि को सूखा और बाढ़ से बचाने के लिए आपातकालीन कृषि नियोजन, सूखा एवं बाढ़ प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास, पनधारा विकास कार्यक्रमों, बाढ़ प्रवण क्षेत्र एवं मरुस्थल विकास कार्यक्रमों एवं ग्रामीण अवसंरचना विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

कृषि जिन्सों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति जारी रहेगी तथा विपणन कार्यों में लगे सार्वजनिक एवं सहकारी अभिकरणों को सुदृढ़ किया जायेगा।

(10) **प्रबन्ध सुधार**—नीतिगत प्रयासों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कृषि प्रबन्धन में व्यापक सुधार किये जायेंगे। किसानों की आदान एवं अन्य समर्थन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा। निर्यात संवर्द्धन के लिए कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण एवं मानकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

अनुमान एवं भविष्यवाणी को अधिक विश्वसनीय बनाया जायेगा। जोखिम प्रबन्ध एवं विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए आंकड़ों का संग्रहण, मिलान, मूल्य संयोजन एवं समुचित स्थानों पर इसके वितरण हेतु, दूर-संवेदी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं सुधार लाने के प्रयास किए जायेंगे।

राष्ट्रीय कृषि नीति की आलोचना
(CRITICISM OF NATIONAL AGRICULTURAL POLICY)

राष्ट्रीय कृषि नीति की आलोचना निम्न आधारों पर की जा रही है :

(1) **मांसाहार को प्रोत्साहन**—इस नीति में मांसाहार को प्रोत्साहन दिया गया है जो भारतीय परम्परा मेल नहीं खाती है। मांस के खाने से न तो सामाजिक न्याय होता है और न खाद्यान्न सुरक्षा।

(2) **मांग-आधारित कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना**—यह उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इससे वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और खाद्यान्नों का उत्पादन घटेगा जिससे देश में खाद्यान्नों की कमी हो जायेगी।

Scanned with CamScanner

(3) **स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई पद्धति को बढ़ावा**—नीति में इस साधन को बढ़ाने की बात कही गई है। इन उपकरणों पर सरकार भारी अनुदान भी दे रही है जिससे भूमिगत जल के अति विदोहन को बढ़ावा मिल रहा है। आवश्यकता यह थी कि जल संग्रहण के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए था। स्प्रिंकलर के स्थान पर चेक डैम और जोहड़ पर अनुदान दिया जाना चाहिए।

(4) **निश्चित नीति कार्यक्रम का अभाव**—नीति में कहा गया है कि अप्रयुक्त बंजर भूमि को कृषि और वनरोपण के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। लेकिन इसके लिए कोई नीति कार्यक्रम का उल्लेख नीति में नहीं किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय बीज निगम व राज्य फार्म निगमों के पुनर्गठन की बात नीति में कही गई है लेकिन यह कैसे किया जायेगा इसका उल्लेख नीति में नहीं है।

Scanned with CamScanner